

भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत डाबरी-कलकत्ता व्हाया लातरीटोला से माहुरदल्ली बोदालझोला तक मार्ग निर्माण हेतु दक्षिण बालाघाट वन मण्डल की 11.76 हेक्टेयर एवं उत्तर बालाघाट वन मण्डल की 3.96 हेक्टेयर कुल 15.72 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 18.488 हेक्टेयर) मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	---

तिथि:— 01/05/2023

स्थान:— भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal